मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांक: 16.06.2024

थाना अदलहाट पुलिस द्वारा 02 ट्रक में लदे चोरी का खनिज स्टोन व एक बोलेरो के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व अवैध क्रियाकलाप करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना अदलहाट पुलिस व खनन की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 15.06.2024 को उप निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी व खान अधिकारी जितेन्द्र सिंह की संयुक्त टीम द्वारा थाना अदलाहट क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा 02 ट्रक में चोरी का खनिज लदे होने की सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना अदलहाट पुलिस व खनन की संयुक्त टीम द्वारा थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम खजुरौल स्थित छत्रपति शिवाजी इण्टर कालेज के सामने से 05 नफर अभियुक्त 1. विशाल यादव पुत्र उमाशंकर यादव (चालक ट्रक संख्या UP 51 T 9829), 2. धन्नजय यादव पुत्र भुल्लन यादव, 3. विकास कुमार सिंह पुत्र सिंहासन यादव, 4. अनिकेत कुमार पुत्र केशव यादव निवासीगण बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली व 5. आकाश पुत्र रामराज निवासी ग्राम जरहा थाना पड़री जनपद मीरजापुर (चालक ट्रक संख्या UP 53 ET 1847) को गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 ट्रक संख्या UP 51 T 9829 व UP 53 ET 1847 में चोरी का खनिज स्टोन व 01 बोलेरो संख्या- UP 67 H 9909 बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-119/2024 धारा 186,379,411 भादवि, व 4/21 खान एवं खनिज अधि. व 03 लोक सम्पत्ति क्षत्ति. निवा. अधि. पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा घटना में प्रयुक्त सभी वाहनों को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ — गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया कि दोनों ट्रकों में बिना परमिट का चोरी किया हुआ गिट्टी लदा हुआ है, जिसे दोनों ट्रक चालको द्वारा बाह्य जनपद से लाया जा रहा है। बोलेरो में अन्य तीन साथियों द्वारा आगे-आगे चलकर पुलिस, आरटीओ व खनन अधिकारी का लोकेशन देख कर ट्रकों को आगे पास कराते है। इस प्रकार अभियुक्तो द्वारा चोरी का खनिज को बेच कर धन अर्जित करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.विशाल यादव पुत्र उमाशंकर यादव (ट्रक चालक UP51T9829) निवासी बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब-22 वर्ष।

2. धन्नजय यादव पुत्र भुल्लन यादव, निवासी बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब-30 वर्ष।
3. विकास कुमार सिंह पुत्र सिंहासन यादव, निवासी बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब-25 वर्ष।
4. अनिकेत कुमार पुत्र केशव यादव निवासी बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब-24 वर्ष।
5. आकाश पुत्र रामराज (ट्रक चालक UP 53 ET 1847) निवासी ग्राम जरहा थाना पड़री जनपद मीरजापुर उम्र करीब-22 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

02 ट्रक संख्या UP51T9829 व UP 53 ET 1847 में चोरी का खनिज स्टोन व 01 बोलोरो संख्या- UP 67 H 9909 बरामद।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-119/2024 धारा 186,379,411भादवि, 4/21 खान एवं खनिज अधि. व 03 लोक सम्पत्ति क्षत्ति.निवा.अधि. थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम खजुरौल स्थित छत्रपति शिवाजी इण्टर कालेज के पास से, दिनांकः15.06.2024।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र भूषण मौर्य थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
उप निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम थाना अदलहाट मीरजापुर।
खान अधिकारी जितेन्द्र सिंह मय टीम।

सूची प्रभारी निरीक्षक
थाना-अदलहाट,जनपद-मीरजापुर
नाम
कब से
कब तक
1-रवीन्द्र भूषण मौर्य
26-11-23
सूची उच्चाधिकारी गण
श्री प्रशान्त कुमार I.P.S.
जोन-वाराणसी
श्री पीयूष मोर्डिया I.P.S.
परिक्षेत्र मीरजापुर
श्री राकेश प्रकाश सिंह I.P.S.
4- पुलिस अधीक्षक मीरजापुर
श्री अभिनन्दन I.P.S.
5- अपर पुलिस अधीक्षक